प्रेषकः—	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

सेवामें,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक/प्रा0शि0–2/ 6301 /नियुक्ति आदेश/2021–22, दिनांक 06 जनवरी 2022

विषयः— राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक (बैकलॉग तथा सीधी भर्ती) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश विभागीय वेवसाईट पर प्रदर्शित (अपलोड) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् के क्रम मे राजकीय प्राथमिक विद्यालय मे रिक्त पदों के सापेक्ष बैकलॉग भर्ती पत्रांक/प्रा0शि0–2/573/नियुक्ति आदेश/2021–22, दिनांक 06 जनवरी 2022 एवं सीधी भर्ती पत्रांक/प्रा0शि0–2/574/नियुक्ति आदेश/2021–22, दिनांक 06 जनवरी 2022 के माध्यम से प्रतीक्षा सूची मे चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संलग्न कर **महोदय की सेवा मे इस आशय से प्रेषित है कि संलग्न नियुक्ति आदेश विभागीय वेवसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर प्रदर्शित (अपलोड) करने का कष्ट करें।**

संलग्नः—

1. बैकलॉग प्रतीक्षा नियुक्ति आदेश।
2. सीधी भर्ती प्रतीक्षा नियुक्ति आदेश।

भवदीय
06/1/22

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

कार्यालयः– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) टिहरी गढवाल।

आदेश संख्याः प्रा•शि•–2/ 573 /बैकलॉग द्वितीय प्रतीक्षा सूची/नियु•/2021–22 दिनांक 06 जनवरी 2022

::नियुक्ति आदेश::

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा•शि•–दो (2)/19061–75/148(18)/2018–19, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली–2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्याः प्रा•शि•–2 /970/विज्ञप्ति /2018–19, दिनांक 06 मार्च, 2019 एवं संशोधित आदेश संख्याः प्रा•शि•–2 /177/विज्ञप्ति/संशो•/2019–20, दिनांक 01 जून, 2019 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बैकलॉक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांकः प्रा•शि•–दो (2)/419 (II)–2020/6118–21/2021–2022, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त द्विवर्षीय डिप्लोमा डी॰एल॰एड॰/बी॰टी॰सी॰ तथा बी॰एड॰ एवं सी॰टी॰ई॰टी॰/यू॰टी॰ई॰टी॰–1 उत्तीर्ण अनन्तिम रूप से अनु0 जाति बैकलॉग द्वितीय प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–07 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान रू0 35400–112400 लेवल–06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या – 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या–350/एस॰एस॰/2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं याचिका संख्याः 2292/2018 (एस0एस0) विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी•एड•)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को दो वर्ष के भीतर एन॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। उक्त छः माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता, सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेखों के निर्गमन करने वाली संस्थाओं/बोर्डो से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी हैं। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। शीतकालीन अवकाश की अवधि मे सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे कार्यभार ग्रहण किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आंवटित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दीपशिखा आर्या	श्री कमलेश	चम्पावत	06-08-90	SC	रा0प्रा0वि0 जखोना	भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
2	गिरीश चन्द्र	श्री गुसाई राम	नैनीताल	10-02-79	SC	रा0प्रा0वि0 खोंगचा	कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
3	दीपक कुमार	श्री ज्ञान दास	उत्तरकाशी	07-08-88	SC	रा0प्रा0वि0 चापड़ा	थौलधार	रिक्त पद के प्रति
4	हिमानी राठौर	श्री शरण चन्द्र राठौर	देहरादून	05-05-84	SC	रा0प्रा0वि0 टकारना	जौनपुर	रिक्त पद के प्रति

Bisht
06/01/22

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	जाति	आंवटित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
5	मनोज कुमार	श्री हिम्मत राम	नैनीताल	09-07-88	SC	रा0प्रा0वि0 रैका	प्रतापनगर	रिक्त पद के प्रति
6	आनन्द लाल	श्री बांके लाल	रूद्रप्रयाग	15-08-91	SC	रा0प्रा0वि0 कठुड़	चम्बा	रिक्त पद के प्रति

Bisht 06/01/22

(सुदर्शन सिह विष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰शि॰)
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ॰सं॰:प्रा॰शि॰–2/ 6282-90 / बैकलॉग द्वितीय प्रतीक्षा सूची/नियु॰/2021–22, दिनांक उक्तवत ।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढवाल, नरेन्द्रनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी नई टिहरी/प्रतापनगर/देवप्रयाग/घनसाली/थत्यूड़/नरेन्द्रनगर, टि0ग0।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि वे अपने विकासखण्ड से सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका के समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण–पत्रों का सत्यापन तथा उनकी वैधता दो वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाली संस्थाओं/कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवाने के उपरान्त सत्यापित प्रमाण–पत्रों का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख औपबन्धिक अंकित किया गया है उनके शैक्षिक/प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित त्रुटियों के निराकरण के उपरान्त वेतन आहरित किया जाय।
8. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका सम्बन्धित विद्यालय।
9. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय के साथ कि अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, टी॰ई॰टी॰प्रथम उत्तीर्ण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के दो–दो सैट सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर उक्त अभिलेखों का एक सैट विद्यालय में जमा करने होंगे। प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। निर्धारित समायान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
10. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शीतावकाश होने के कारण अपने से सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
11. कार्यालय गार्ड फाईल।

Bisht 06/01/22

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰शि॰)
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।